29

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :–15 / 2024 दायरा दिनांक 18.09.2024

पीठासीन अधिकारी :–श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

रमेश पुत्र मोतीलाल जाति लुहार निवासी कस्बानौनेरा हाल केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

–अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. मूलचन्द पुत्र रमेश जाति सहरिया निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
2. जामवती पुत्री रमेश जाति सहरिया निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
3. सियावती पुत्री रमेश जाति सहरिया निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
4. कमलती पुत्री रमेश जाति सहरिया निवासी कस्बानौनेरा तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील किशनगंज जिला बारॉ (राज.)

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित :–

श्री अरविन्द शर्मा :– वकील, अपीलान्ट।
स्वंय उपस्थित :– रेस्पोडेण्टगण।

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 28.12.2010 ग्राम कस्बानौनेरा तहसील शाहबाद

निर्णय दिनांक 29.08.2025

अपीलान्ट द्वारा यह अपील बनाराजगी नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 28.12.2010 ग्राम कस्बानौनेरा को निरस्त करने बाबत् इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसीलदार, शाहबाद के द्वारा प्रमाणित किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। सरिस्ता रिपोर्ट ली जा कर उचित कोर्ट फीस पर होने व न्यायालय क्षेत्राधिकार में होने से अपील प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड एवं रेस्पोडेन्टगण की तलबी की गई।

संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि ग्राम कस्बानौनेरा पटवार हल्का कस्बानौनेरा तहसील शाहाबाद जिला–बारां राज. में खसरा नं. 212 रकबा 2.02 बीघा व खसरा नं. 568 रकबा 0.03 बीघा किता 2 कुल रकबा 2.05 बीघा अपीलान्ट के स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि को अपीलान्ट बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा है।

यह कि अपीलान्ट वर्तमान में भी भली प्रकार स्वस्थ होकर जीवन यापन कर रहा है। अपीलान्ट के सामान्य जीवन जीने के लिए समस्त शारीरिक अंग, हृदय, किडनी, लीवर, फेंफडे, दिमाग सम्पूर्ण अंग सक्रिय रूप से कार्य करता

है। अपीलान्ट जीवित मनुष्य है। यह कि दिनांक 08.08.2024 को अपने खाते की नकले खाता जमाबन्दी लेने पहुचा तब उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकलें दिनांक 14.08.2024 को प्राप्त होने पर ज्ञान में आया कि अपीलान्ट की भूमि के रिकार्ड में अपीलान्ट मर चुका है व भूमि रेस्पोडेट कम 1 लगायत 4 जिनका अपीलान्ट से कोई संबंध नही है, बतौर वारिस अपीलान्ट रिकार्ड में दर्ज है। तुरन्त ही अपीलान्ट ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तथा संबंधित हल्का पटवारी को अपने पहचान के दस्तावेज दिखाते हुये स्वंय के जिन्दा होना निवेदन कर अपीलान्ट के खाते की भूमि अन्य के नाम दर्ज करने के तथ्य से अवगत कराया। उक्त मामले में स्पोडेन्टकम 5 को अवगत कराया लेकिन अपीलान्ट के जिन्दा होने के बावजूद रिकार्ड में मृत घोषित कर रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 4 जिनका अपीलान्ट से कोई संबंध नही है के नाम भूमि दर्ज किये जाने के गम्भीर मामले में भी कोई कार्यवाही नही की। अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
यह कि अपीलान्ट नामान्तरकरण दिनांक 28.12.2010 अपीलान्ट के ज्ञान में नही था। दिनांक 14.08.2024 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर अपीलाधीन नामान्तरकरण का ज्ञान हुआ। ज्ञान के अभाव में अपील पेश करने में हुआ बिलम्ब सदभाविक होकर क्षमन किये जाने योग्य है। तिथि जानकारी से अपील अवधि मध्य पेश है।

रेस्पोडेन्टकम 1 ता 3 ने उपस्थित होकर अपील जबाव पेश कर निवेदन किया की मद सं. 1 से 4 स्वीकार हैं, मद सं. 5,6 कानूनी हैं। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 28.12.2010 ग्राम कस्बानौनेरा को निरस्त किये जाने के आदेश पारित करे, हमें कोर्द आपत्ति नहीं हैं। रेस्पोडेन्टकम 4 कमलती के फौत होने से नाम डिलीट किये जाने बावत वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र पेश किया।

विद्वान वकील अपीलान्ट की एक पक्षिय बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया की विवादित आराजी अपीलान्ट के स्वामित्व व खातेदारी की कृषि भूमि को अपीलान्ट बहैसियत खातेदार कृषक काबिज काश्त चला आ रहा हैं। अपीलान्ट वर्तमान में भी भली प्रकार स्वथ्य होकर जीवन यापन कर रहा हैं। अपीलान्ट जीवित मनुष्य है। अपीलान्ट की भूमि के रिकार्ड में अपीलान्ट मर चुका हैं, व भूमि रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 4 जिनका अपीलान्ट से कोई संबंध नही हैं, बतौर वारिस अपीलान्ट रिकार्ड में दर्ज है। अपीलाधीन नामान्तरकरण उपरोक्त वर्णित आधार पर अवैध विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने विद्वान वकील अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का भी अवलोकन किया। विद्वान वकील अपीलान्ट ने कथन किया की अपीलान्ट बहैसियत खातेदार कृषक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं। अपीलान्ट वर्तमान में भी भली प्रकार स्वथ्य होकर जीवन यापन कर रहा हैं। अपीलान्ट जीवित मनुष्य है। अपीलान्ट की भूमि रेस्पोडेन्टकम 1 लगायत 4 जिनका अपीलान्ट से कोई संबंध नही हैं, बतौर वारिस अपीलान्ट रिकार्ड में दर्ज है। जो विधि विरूद्ध हैं।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम कस्बानौनेरा का नामान्तरकरण संख्या 804 दिनांक 28.12.2010 निरस्त किया जाता हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शाहबाद को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता हैं कि खातेदार की जांच कर नियमानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार शाहबाद को भेजी जावें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

अतिरिक्त कलक्टर
शाहाबाद (बारां)